HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3132/2019

Smt. Nisha Gupta W/o Shri Aasish Gupta, Aged About 29 Years, B/c Mahawar, R/o 90 B, Marudhar Vihar, Kathipura, Jaipur.

----Appellant

Versus

Shivdan S/o Shri Laxminarayan, B/c Jat, R/o Choudhary Karshi Farm, Devrala Road Ajeetgadh, Police Station Ajeetgadh, Tehsil Shrimadhopur, District Sikar. (Driver And Owner Bolero Car No. Rj32-Ua-2569)

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. K.N. Tiwari, Adv.
For Respondent(s)	:	None

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

31/08/2024

अपीलार्थी/प्रार्थी/आहता की ओर से यह अपील विद्वान न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ट न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम) जयपुर द्वारा एम.ए.सी. प्रकरण 162/2016 (342/2018) में पारित अवार्ड व निर्णय दिनांक 27.03.2019 से व्यथित होकर पेश की है। अपीलाधीन अवार्ड के माध्यम से वाहन दुर्घटना में अपीलार्थी/आहता के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कुल 7,04,000/– रूपये प्रतिकर राशि मय 6 प्रतिशत

वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निम्नानुसार दिलाये जाने का आदेश दिया गया है–

क्रम	मद	दिलायी गयी राशि
1.	स्थायी विकलांगता के मद में	66,000/–
2.	पौष्टिक आहार	5,000/–
3.	परिवहन व्यय	5,000/–
4.	परिचर्या व्यय	5,000/–
5.	शारीरिक मानसिक पीडा व संताप के मद में	30,000/–
6.	उपचार व्यय के मद में	5,75,000
7.	उपचार अवधि में आय क्षति के मद में	18,000
	कुल राशि	**7,04,000/–**

जिसमें बढोतरी हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है।

प्रत्यर्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामील कोई उपस्थित नहीं है तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई अपील पेश नहीं की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी दुर्घटना के समय केन्द्रीय यूनिवर्स्टी बांदरसिंदरी में यू.जी.सी. के अन्दर प्रोजेक्ट रिसर्च का कार्य कर रही थी तथा उच्च शिक्षा गृहण किये हुए थी, लेकिन विद्वान अधिकरण द्वारा सम्यक रूप से उसकी आय को विचार में नहीं लिया गया है और मात्र 66,000/– रूपये स्थायी विकलांगता/आय हानि के मद में दिलाये हैं जो अपर्याप्त हैं। इस प्रकार उचित प्रतिकर राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

सुना गया, प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

दुर्घटना दिनांक 15.06.2015 को कारित होना प्रकट हुआ है, प्रदर्श 407 के अनुसार अपीलार्थी को इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 22.33 प्रतिशत स्थायी निशक्तता कारित होना प्रकट हुआ है, आहता की पसलियों व पांव में एक से अधिक बार ऑपरेशन हुए हैं। यद्यपि आहता की कोई प्रमाणित आय नहीं है, किन्तु वह अध्ययनरत होकर रिसर्च कार्य में व्यस्त थी, अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों व भविष्य में उसके नियोजन की संभावना आदि को देखते हुए उसके कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार प्रतिकर राशि का निर्धारण किया जाना उचित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश बनाम मोहन व अन्य (2018) 4 एस.सी.सी. 571 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार वाहन दुर्घटना के मामलों में चोटें कारित होने की स्थिति व स्थायी निशक्तता होने की स्थिति में भी भविष्य में आय वृद्धि का लाभ दिया जाना अपेक्षित है।

चूंकि दुर्घटना दिनांक 15.06.2015 को कारित हुई है, स्थायी निशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार आहता के 22.33 प्रतिशत स्थायी निशक्तता अंग विशेष के प्रति कारित हुई है, जिसे सम्पूर्ण शरीर था कार्यक्षमता व आय अर्जन के दृष्टिकोण से 10 प्रतिशत माना जाना उचित है, दुर्घटना के समय आहता की आयु 27 वर्ष बतायी गयी है, अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार आय हानि की गणना किये जाने पर अपीलार्थी/आहता को आय हानि की क्षति 217x30x12x17x10प्रतिशत=1,32,804/– रूपये होती है, जिसमें आहत के आयु वर्ग के अनुसार 40प्रतिशत भविष्य में आय वृद्धि का लाभ अर्थात 53,121/– रूपये जोडे जाने पर यह राशि

1,85,925/– रूपये होती है, जबकि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस मद में मात्र 66,000/– रूपये दिलाये हैं, इस प्रकार इस मद में आहता/अपीलार्थी **1,19,925/– रूपये** अतिरिक्त प्राप्त करने की अधिकारी है।

आहता महिला है जो उच्च शिक्षा गृहण किये हुए है, उपरोक्त स्थायी निशक्तता के कारण उसे जीवनभर मानसिक पीडा व संताप से गुजरना पडेगा, अतः इस मद में आहता 50,000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है, जबकि विद्वान अधिकरण द्वारा इस मद में 30,000/– रूपये दिलाये हैं, इस प्रकार इस मद में भी अपीलार्थी/आहता **20,000/– रूपये अतिरिक्त प्राप्त करने की अधिकारी** है।

अधिकरण द्वारा आहता को अन्य मदों में दिलायी गयी राशि पूर्णतः उचित व पर्याप्त हैं, अतः उक्त मदों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जो प्रतिकर राशि दिलायी गयी है, उसमें बढोतरी करते हुए अपीलार्थी/आहता कुल 1,39,925/– रूपये अतिरिक्त रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड व निर्णय दिनांकित 27.03.2019 को उपान्तरित करते हुए आदेश दिया जाता है कि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड राशि के अतिरिक्त इस आदेश के तहत अपीलार्थी 1,39,925/– रूपये तथा उस पर अधीनस्थ अधिकरण में याचिका संस्थित किये जाने की दिनांक से वसूली

तक 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से राशि प्राप्त करने की अधिकारी होगी, आक्षेपित अवार्ड की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /51